



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2009/भाद्र 23, 1931

No. 528]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2009/BHADRA 23, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

**सा.का.नि. 670(अ).**— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**-- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) “सचिव” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु, अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या**— आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी भर्ती की पद्धति अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी ।
4. **सेवा की शर्तें** - (1) छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि, पदग्रहण अवधि वेतन, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में, आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो तत्स्थानी प्रवर्ग और वेतनमान से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं ।
- (2) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तब तक साधारण पूल आवास सुविधा के लिए पात्र होंगे, जब तक आयोग के लिए पृथक कार्यालय और आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण नहीं हो जाता है ।
- (3) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हें साधारण पूल आवास के अंतर्गत सरकारी निवास स्थान की सुविधा रखने के लिए पात्र होंगे ।
- (4) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें निवास स्थान आबंटित नहीं है वे मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे जो कि वही वेतनमान प्राप्त कर रहे हों केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है ।
- (5) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें वे भी सम्मिलित हैं जो आयोग में सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं ।
- (6) (i) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू है, द्वारा शासित होते रहेंगे ।
- (ii) आयोग, ऐसे सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य निधि हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही इसे उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को रकम प्रेषित करेगा ।
- (iii) आयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।
- (7) उन व्यक्तियों से भिन्न जो प्रतिनियुक्ति पर हैं आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा विनिर्मित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होंगे :
- परंतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों के मामले में वे समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो उन्हें उसे मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू हैं ।

8(i) आयोग ऐसे सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों से बीमा स्कीमों हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही उसे उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजेगा ।

(ii) अयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।

(9) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, नयी पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

(10) अयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में जो उनको उपलब्ध हैं, यदि कोई है, पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदे के पात्र होंगे ।

**5. शासकीय विदेशी दौरे**—आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के शासकीय विदेशी दौरे आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे ।

(2) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।

**6. प्रतिनियुक्ति भत्ता**— प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित व्यक्तियों को वेतनमान और उधार लेने वाले संगठन के अन्य सेवा फायदों का विकल्प करने या स्वयं के वेतनमान प्रतिधारित करने और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

**7. अवशिष्ट उपबंध**—आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के निबंधन और शर्तों से संबंधित के विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

**8. शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए किसी किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल किया जाएगा ।

### अनुसूची 3

(नियम 4(5) देखिए)

चिकित्सीय सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सीय व्यय--सचिव, अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजन के लिए "कुटुम्ब" पद का वही अर्थ है, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या), नियम, 1944 में हैं ।

(ii) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी ।

(iii) दावे को चिकित्सक के नुस्खे और मूल कैश मैमो या चिकित्सक द्वारा उपचार के लिए बिल तथा दवाइयों की खरीद द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा वर्ष के दौरान वेतनवृद्धियां या प्रोन्नति की निर्मुक्ति, 1 जनवरी तक की सीमा पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(iv) वर्ष के दौरान पद ग्रहण कर रहे सचिव, अधिकारी और कर्मचारी के लिए वार्षिक हकदारी अनुपात के आधार पर निर्बंधित होगी ।

(v) बाह्य उपचार, आयोग द्वारा रखे जाने वाले पैनल से प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से कराया जाएगा ।

### 2. आंतरिक उपचार--

(i) आंतरिक उपचार के प्रयोजन के लिए आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए उपचार की लागत जिसमें अस्पताल वास, नर्सिंग होम सुविधा आदि सम्मिलित है, समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी ।

(ii) उपरोक्त खंड (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

(iii) प्राधिकृत अस्पताल में उपचार आपातकाल के सिवाए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों की सलाह पर कराया जा सकेगा ।

अनुसूची  
(नियम 3 देखें)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. सचिव	पदों की संख्या 1* (2009)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वर्गीकरण लागू नहीं होता	वेतन बैंड वेतन बैंड 37400- 67000 ₹ + वेतन- बैंड 10000 ₹ या वेतन मान 67000 ₹- (3 % की दर से वार्षिक वृद्धि)- 79000 ₹ स्तंभ	चयन चयन	सेवा जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के आयु-सीमा	सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती होने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचोषण की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			12 में यथावर्षित आयुधियों की उपलब्धता पर निर्भर !								प्रशासन या वित्त या औद्योगिक प्रबंधन में 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं। वाछनीय : अर्थशास्त्र या कारखार प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री या विधि में हेचतर डिग्री या (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों से जो वेतनमान 67000-रु (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि) - 7900 में पदधारण किए हुए हैं (ख) 37400-67000 + ग्रेड वेतन 10000 रु (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों से जो वेतन बैंड 37400-67000 रु + ग्रेड वेतन 10000 में पदधारण किए हुए हैं और समान श्रेणी में प्रशासन या वित्त	3.बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. सलाहकार	2* (2009)	लागू नहीं	चयन	लागू नहीं होता।	45 और 50 वर्ष	वाणिज्य या वित्त या लेखा	लागू नहीं	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा 50 वर्ष जिसके न हो सकने	1. प्रोन्नति द्वारा आयोग में निवेशक 2. प्रोन्नति (वेतनमान 67000-3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि-79000) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में नियमित आधार पर वेतन बैंड 37400-67000 ₹0 + ग्रेड वेतन 10000 ₹0 में सलाहकार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(वितीय विश्लेषण)	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	होता	₹0 + ग्रेड वेतन 10000 ₹0			के बीच।	या चाटर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत और संकर्म लेखा पाल पीएचडी या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में 13 वर्ष का अनुभव या वाणिज्य मास्टर कारबार प्रशासन (वित्त या लेखा) में मास्टर डिग्री या सुसंगत क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	होता।		पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या अत्यकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत। 3. सीधी मर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	(वित्तीय विश्लेषण) के रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा। 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा। आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा समूह क' स्वायत्त शासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादमिक अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री या चाटर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखा पाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8900 ₹0 के ग्रेड वेतन में	(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-अध्यक्ष 2. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के दो सदस्य- सदस्य 3. बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा- सदस्य	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. सलाहकार (अर्थशास्त्र)	3* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	37400-67000 + ग्रेड वेतन 10000 रु	चयन	लागू नहीं होता।	45 और 50 वर्ष के बीच।	अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में पीएचडी या समतुल्य और 13 वर्ष का अनुभव या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और 17 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा प्रतियुक्ति करने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा अल्पकालिक सविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत। 3. सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	आवश्यक : किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री और पात्रता : भारतीय अखिल सेवा या सिविल 'समूह क' या भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा या स्वायत्त संगठनों विनियामक प्राधिकरणों विश्वविद्यालय या अकादमिक अनुसंधान आदि से अधिकारी	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष भारत का प्रतिस्पर्धी आयोग-अध्यक्ष 2. भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग के दो सदस्य- सदस्य 3. बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सह विकल्प दिया जा सकेगा-सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	3* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	37400-67000 रु० + ग्रेड वेतन 10000 रु०	चयन	लागू नहीं होता।	45 और 50 वर्ष के बीच।	प्रतिस्पर्धा विधि में पीएचडी डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र 13 वर्ष का अनुभव या (i) विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव या (ii) विधि में बैचलर डिग्री या समतुल्य	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	पचास प्रतिशत पोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अल्पकालिक संविदा द्वारा। 3. पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	वांछनीय : अवधारित क्षेत्र में अनुभव (1) प्रोन्नति द्वारा आयोग में निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम चार वर्ष सेवा। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक : भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा सिविल 'समूह क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वायत्त शासी	विभागिय प्रोन्नति समिति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होय : 1. अध्याक्ष भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-अध्यक्ष 2 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के दो सदस्य- सदस्य 3. बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							और सुरंगत क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव राष्ट्रीय प्रशिक्षण विधि में अनुभव ।				संगठनों विनियामक प्राधिकरण विश्वविद्यालय आकाशमिक अनुसंधान संस्थानों या व्यापिक संस्थानों आदि य जैसे अतिरिक्त स्थानों का किसी मायाम प्राप्त विश्वविद्यालय से एतरलबी द्विती है तथा नियमित आधार पर साक्ष्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8900 रु0 के ग्रेड वेतन में चार वर्ष का या 8700 रु0 ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है और संगठन क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है ।	भारत सरकार को अतिरिक्त ज्ञान सह विचारक विधि के अन्तर्गत	
5. निदेशक (वितीय विश्लेषण)	2* (2009) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता ।	37400-67000 रु0 + ग्रेड वेतन 8900 रु0	चयन	लागू नहीं होता ।	40 और 45 वर्ष के बीच ।	आवश्यक : किसी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या	लागू नहीं होता ।	1 वर्ष	1. पचास प्रतिशत प्रोन्नति प्राप्त किएके न हो सकने पर प्रतिनिवृत्ति द्वारा । 2. पक्रीय प्रतिशत	1 प्रोन्नति द्वारा : अद्योग में संयुक्त निदेशक (वितीय विश्लेषण) के रु0 में कम से कम चार वर्ष की सेवा ।	(i) अद्योग प्रणामनिर्दिष्ट एक राक्षस - अद्योग (ii) निदेशक	लागू नहीं होता ।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6. निदेशक (अर्थशास्त्र)	*5 (2009) के अन्तर्गत * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	37400-67600 ₹0 + ग्रेड वेतन 8900 ₹0	चयन	लागू नहीं होता।	40 और 45 वर्ष के बीच।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन सिद्धांत या इकोनोमेट्रीक्स अर्थशास्त्र में पीएचडी या समतुल्य सुसंगत क्षेत्र में आठ वर्ष का अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	1 वर्ष	1. पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अल्पकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत। 3. सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	वांछनीय : प्रतिस्पर्धा मुहों से संबंधित वित्तीय विश्लेषण में अनुभव।	(i) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष। (ii) महानिदेशक भारत प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य। (iii) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सचिव सदस्य। (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि समिति द्वारा सह-विकल्प के रूप में आशयपूर्क समझा जाए-सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7. निदेशक (विधि)	*5 (पांच) (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	37400- 67000 ₹ + ग्रेड वेतन 89000 ₹0	चयन	लागू नहीं होता।	40 और 45 वर्ष के मध्य।	आवश्यक प्रतिस्पर्धा विधि में डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र आठ वर्ष का अनुभव या विधि मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री (वृत्तिक) या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में बारह वर्ष	लागू नहीं होता।	1 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या अल्पकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत। 3. सीधी गती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	रहे हैं या 8700 ₹0 के ग्रेड वेतन में चार वर्ष का या 7600 ₹0 ग्रेड वेतन में दस वर्ष का समतुल्य। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव। (1) प्रोन्नति द्वारा आयोग में संयुक्त निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम चार वर्ष सेवा। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक : भारतीय अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा या 'समूह क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कर्मचारी विधि सेवा या स्वायत्त शासी संगठनों विनियामक प्राधिकरणों विश्वविद्यालय अकादमिक अनुसंधान संस्थानों या संस्थानों आदि से	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष (ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सह विकल्प दिया जा सकेगा-सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8. संयुक्त निदेशक (वित्तीय विश्लेषण)	4* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	37400-67000 + ग्रेड वेतन 8700 रु०	चयन	लागू नहीं होता।	35 और 40 वर्ष के बीच।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या वित्त या लेखा में पीएचडी या समतुल्य, चाटर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत और संकर्म लेखा पाल या वित्तीय विश्लेषण और	लागू नहीं होता।	1 वर्ष	1. पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अत्याकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत। 3. सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8700 रु० के ग्रेड वेतन में चार वर्ष का या 7600 रु० ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	(i) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष (ii) महानिदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9. संयुक्त निदेशक (अथशास्त्र)	*10 (2009)	लागू नहीं होता।	37400-67000 रु० + ग्रेड वेतन 8700 रु०	चयन	लागू नहीं होता।	35 और 40 वर्ष के मध्य।	तीन वर्ष का अनुभव वाणिज्य में मास्टर या मास्टर प्रशासन मास्टर या समतुल्य और छह वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर में अनुभव भी है। वाछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वित्तीय विशेषण में अनुभव 1	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत बिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादमिक अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री या कारखान प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखापाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 7500 रु० के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 6600 रु० ग्रेड वेतन में दस वर्ष का समतुल्य। वाछनीय : प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वित्तीय विशेषण में अनुभव	आवश्यक समझ जाए तो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा-सदस्य।	लागू नहीं होता।
(अथशास्त्र 1)	* कार्यभार						आवश्यक : अथशास्त्र या सांख्यिकी में पीएचडी या समतुल्य और	लागू नहीं होता।			(1) प्रोन्नति द्वारा आयोग में उप निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम छह वर्ष सेवा।	(i) अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट नाम एक सदस्य-अध्यक्ष	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<p>के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>						<p>सुसंगत क्षेत्र वर्ष में तीन वर्ष का अनुभव या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर में अनुभव भी है।</p> <p>वांछनीय : सूक्ष्म अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगठन सिद्धांत या अर्थमैट्रिक्स या वित्तीय अर्थशास्त्र में विषय ज्ञान।</p>			<p>2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण अल्पकालिक संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत।</p> <p>3. सीधी भर्ती द्वारा पच्चीस प्रतिशत।</p>	<p>(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय शिवालय 'समूह क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वायत्त शासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय अकादमिक अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 7600 रु के ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 6600 रु ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है।</p>	<p>(ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव के भारत प्रतिस्पर्धा आयोग सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा-सदस्य -</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.	* 10 (2000) नियुक्त नियंत्रक (विधि)	लागू नहीं होता।	37400 37000 30 35 वर्ष 37400 30	युक्त	लागू नहीं होता।	35 और 40 वर्ष के बीच।	आवरणक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धी विधि में पीएचडी डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव या विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री (वृत्तिक) या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव जिसमें काउन्सेलर सेक्टर में अनुभव भी	लागू नहीं होता।	1 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण या अत्यावधिक संविदा द्वारा पदवीय प्रतिफल। 3. सीबी भर्ती द्वारा उच्चतम प्रतिफल।	राष्ट्रीय : प्रतिस्पर्धी अवधारण में अनुभव। (.) प्रोन्नति द्वारा अयोग में उप निदेशक (विधि) के रूप में कम से कम छह वर्ष की सेवा। (2) प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा 'समूह क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वायत्त शासी संगठनों विनियामक प्राधिकरणों विश्वविद्यालय अकादमिक अनुसंधान संस्थानों या संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी डिग्री है तथा नियमित आधार पर साक्ष्य	(i) अध्यक्ष द्वारा नामित एक अध्यक्ष (ii) गृह निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धी आयोग सदस्य (iii) एकेड भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग सदस्य (iv) बाध्य विशेषज्ञ भट्टि आवरक समझा जाए तो समिति द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। सदस्य।	लागू नहीं होता।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12. उप निदेशक (अर्थशास्त्र I)	*18 (2009)  * कार्यभार के आभार पर परिचय किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600- 39100 ₹0 + ग्रेड वेतन 7600 ₹0	चयन	लागू नहीं होता।	तैलीस वर्ष ।	आवश्यक : अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर में अनुभव भी है ।  वांछनीय : सूक्ष्म अर्थशास्त्र या औद्योगिक संगतन शिद्दांत या	लागू नहीं होता।	1 वर्ष	सीधी भर्ती पचहत्तर जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण ।/अल्पकालिक सविदा द्वारा। प्रतिनियुक्ति द्वारा पच्चीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखा पाल है तथा निगमित आधार पर शाब्दिक गट या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 6600 ₹0 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य ।  वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	दिया जा सकेगा-सदस्य ।	लागू नहीं होता ।
											आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सिविल सेवा 'समूह क' स्वायत्त शासी संगठनों या विनियामक या प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या आकादमिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री या	(i) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट एक सदस्य- अध्यक्ष (ii) महा निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव के भारत प्रतिस्पर्धा आयोग सदस्य (iv) बाह्य गति	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13. स्व निदेशक (विधि)	*18 (2009) * कार्यभार के आद्यार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन 7600 ₹	चयन	लागू नहीं होता।	तैतीस वर्ष।	आवश्यक विधि बैचलर डिग्री या (वृत्तिक) समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर अनुभव भी है। वांछनीय : रुग्म	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण।/अत्यकालिक संविदा द्वारा। प्रतिनियुक्ति द्वारा पत्नीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	कार्यभार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखापाल है तथा नियमित आधार पर सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 6600 ₹0 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या समतुल्य। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	आवश्यक समझा जाए तो सह विकल्प जा राकेगा-सदस्य।	लागू नहीं होता।
											आवश्यक अखिल भारतीय सेवा या सशिविल 'शमूड क' स्वायत्त शासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय या अकादमिक अनुसंधान संस्थानों	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य-अध्यक्ष (ii) मह्य निदेशक भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग-सदस्य (iii) सचिव भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14. संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)	01/2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	37400-67000 + ग्रेड वेतन: 8700 रु	चयन	लागू नहीं होता।	तैत्कालीन वर्ष।	अवश्यकता या औद्योगिक संगठन या सिद्धांत या अर्थमैट्रिक्स या वित्तीय अवधारण में विषय ज्ञान।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके पर न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण/अत्यावकालिक संविदा या सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा: (i) ऐसा (वित्त उपनिदेशक और लेखा) जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा: आवश्यक: अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' /भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/भारतीय डाक सेवा/भारतीय डाक	विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकता-सदस्य।	14. संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15.	संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01(2009)*	चयन	लागू नहीं होता।	तैत्कालीन वर्ष।	आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विरुवाविद्यालय से प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री/प्रौद्योगिकी	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, रिक्त के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अत्यकालिक सविवासी भी भती द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा : (1) ऐसा उपनिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो	यदि आवश्यक समझ को द्वारा प्रकल्प का संकेता सरला	लागू नहीं होता।	
		37400-67000 रु + ग्रेड वेतन: 8700 रु					लोक विज्ञान/लेखा निरक्षण/लेखा परीक्षा में कार्य करने का अनुभव।				उप लेख: सेवा/भारतीय सेवा/भारतीय सेवा लेख सेवा के ऐसे अधिकारी जो राष्ट्रीय परीक्षा पर/ग्रेड में वर्गीकृत रहे हैं और नियुक्त पास 7600 रु के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 6600 रु या सम्मूल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव है और लोक विज्ञान/लोक बजट बनाने संबंधी/व्यव नियंत्रण में कुल साल वर्ष का अनुभव।		
											वाणिज्य में मास्टर डिग्री/कारखान प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री/चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी शक्ति/लागत लेखापाल में मास्टर डिग्री।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	राखता है।						<p>डी में बैचलर या डिग्री इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य या विज्ञान(इंजीनि यरी)/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और साथ ही सुसंगत क्षेत्र में छह वर्ष का अनुभव हो।</p>	लागू नहीं होता।			<p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा: राष्ट्रीय सूचना केन्द्र या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी जिसके पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री/कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/विज्ञान (कंपनी पंचिव) में मास्टर डिग्री/ प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य आदि हो और साथ ही 7600 रु0 के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 6600 रु0 या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस पांच का अनुभव हो।</p>	<p>(ii) आयोग का महानिदेशक सदस्य (iii) संकेत भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया किया जा सकेगा सदस्य</p>	लागू नहीं होता।
16. निदेशक (कारपोरेट सेवा)	05(2009)* के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600 रु0 + ग्रेड वेतन: 39100 रु0 7600 रु0	चक्र	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	<p>आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और</p>	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके पर न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक B संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	<p>(I) प्रोन्नति द्वारा: ऐसा सहायक निदेशक (कारपोरेट सेवा) सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त तथा लेखा जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो</p>	<p>(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का</p>	लागू नहीं होता।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17. उप निदेशक (वित्त और लेखा)	01/2019)*  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15000- 39100 रु० + ग्रेड वेतन: 7500 रु०	चयन	लागू नहीं होता।	तैरीच वर्ष ।	(ii) कार्मिक प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य ; और अनुभव: सहायक निदेशक स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव वांछनीय; मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य सहित मास्टर डिग्री या समतुल्य।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण प्र/अल्पकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य पात्रता: सदृश पर पर/ग्रेड में कार्यरत या अधिकारी क्षेत्र सुसंयत कार्मिक (स्थापन/कार्मिक प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 6600 रु० ग्रेड वेतन या समतुल्य में 5 वर्ष का अनुभव।	महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समाझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18. उम निदेशक (सूचना प्रौद्योगिक ?)	01(2009)*  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600- 39100 रु + ग्रेड वेतन: 7600 रु)	चयन	लागू नहीं होता।	तैतीस वर्ष ।	आवश्यक : किरी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य या कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ विज्ञान(इंजीनि यरी)/कंप्यूटर विज्ञान/सूचना	लागू नहीं होता।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण ।/अल्पकालिक सविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' /भारतीय और लेखापरीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा/भारतीय डाक - तार लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा/भारतीय रेल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी जो सदृश पदों पर/ग्रेड में कार्य कर रहे हैं या जिनके पास 6600 रु या समतुल्य के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव है। उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	(iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19. सहायक निदेशक (वित्त लेखा)	02(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600-39100 रु + ग्रेड वेतन: 6600 रु	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और साथ ही सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके पर न हो सकने प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक सेवा द्वारा।	कार्यरत ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी जिसके पास कम्प्यूटर अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री/कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/विज्ञान (कंपनी सचिव) में मास्टर डिग्री/ प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री आदि हो और साथ ही 6600 रु या समतुल्य के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव हो।	प्रतिस्पर्धा आयोग सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समझा जा सके।	लागू नहीं होता।
					लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	आवश्यक : (i) में वाणिज्य डिग्री बैचलर डिग्री या समतुल्य और अनुभव: (ii) सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय: उच्च अर्हता और अनुभव वरीयता जाएगी।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके पर न हो सकने प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक सेवा द्वारा।	(I) प्रोन्नति द्वारा: ऐसा कार्यालय प्रबंधक (वित्त और लेखा) जिसने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) प्रतिनियुक्ति द्वारा: किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो सद्गुण पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास सुसंगत क्षेत्र (बजट वित्त और लेखा) में 5400 रु के ग्रेड	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20. राध्यायुग निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	03/(2009)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	नाम नहीं होता।	15500-39100 स्ल + ग्रेड वेतन: 6600 स्ल	नाम नहीं होता।	नाम नहीं होता।	तीस वर्ष।	आवश्यक : (i) प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री/इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या (ii) कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री/विज्ञान(सूचना प्रौद्योगिकी)/कंप्यूटर विज्ञान/इंजीनियरी में मास्टर डिग्री। अनुभव: सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव	नाम नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोत्तति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थापना/अल्पकालिक संचालन/सीधी भर्ती द्वारा।	वेतन में पांच वर्ष का या 4800 स्ल के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 स्ल के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 स्ल या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा: स्वयं पद पर/ग्रेड में कार्यरत ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी या व्यवसायी या जिसके पास 5400 स्ल के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 स्ल के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 स्ल के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 स्ल के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव और जिसके पास मास्टर डिग्री/कंप्यूटर अनुप्रयोग में बैचलर डिग्री/प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री/विज्ञान (सूचना प्रौद्योगिकी)/कंपनी सचिव) में	ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य। (i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्पित किया जा सकेगा - सदस्य	नाम नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21. सहायक निदेशक (पुरस्कृत सेवा)	02* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन: 6600 ₹	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	आवश्यक : (i) पुरस्कृत विज्ञान बैचलर और पांच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अत्यकालिक संविदा/सीधी भर्ती द्वारा।	मास्टर डिग्री या समतुल्य की अर्हता हो। (I) प्रोन्नति द्वारा: ऐसा कार्यालय प्रबंधक (पुरस्कृत सेवा) जिसने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) पुरस्कृत विज्ञान में बैचलर डिग्री रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो सट्टा पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास 5400 ₹ के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 ₹ के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 ₹ के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 ₹ या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहकिल्य दिया जा सकेगा - सदस्य	लागू नहीं होता।
22. सहायक निदेशक (कोरपोरेट सेवा)	14* (2009) * कार्यभार के आधार	लागू नहीं होता।	15600-39100 ₹ + ग्रेड वेतन: 6600 ₹	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	आवश्यक : (i) कि सी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अत्यकालिक संविदा/सीधी भर्ती द्वारा।	(I) प्रोन्नति द्वारा: ऐसा कार्यालय प्रबंधक (कोरपोरेट सेवा) जिसने आयोग में कम से कम	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य -	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<p>से किसी भी विद्या बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और</p> <p>(ii) मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र</p> <p>पाठ्यक्रम या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का रोकड तथा लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य</p> <p>अनुभव: कार्यालय प्रबंधक स्तर पर पांच वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय: मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य सहित मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p>				<p>कम पांच वर्ष सेवा की हो</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा: किसी आवश्यक: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य</p> <p>पात्रता: ऐसे अधिकारी जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास सुसंगत क्षेत्र (स्थापन/निजी प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 5400 रु० के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रु० के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।</p> <p>वांछनीय: उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी ।</p>	<p>अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा - सदस्य</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23. कार्यालय प्रबंधक (वित्त और लेखा)	04* (2009) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	9300-34800 रु + ग्रेड वेतन: 5400 रु	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	अटलईस वर्ष।	आवश्यक : (i) वाणिज्य में बैचलर डिग्री या समतुल्य और साथ में तीन वर्ष का अनुभव, या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य और साथ में प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का लेखा/वित्त/रोकड़ तथा लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य का एक वर्षीय डिप्लोमा और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक सविदा/सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा: आवश्यक: अधिकारी पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य है और जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत है या जिसके पास क्षेत्र और (बजट/वित्त लेखा) में 5400 रु के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रु के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रु के ग्रेड वेतन या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव हो। उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष - नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समझा द्वारा सहकृत्य जा दिया जा सकता है - सदस्य	लागू नहीं होता।
24. कार्यालय प्रबंधक (कोरपोरे)	20* (2009)। * कार्यभार	लागू नहीं होता।	9300-34800 रु + ग्रेड वेतन:	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	अटलईस वर्ष।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा: आवश्यक: (i) किसी	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ट सेवा)	कें आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		5400 रु				से किसी भी विद्या बैचलर डिग्री या समतुल्य है और (ii) मानव संसाधन प्रबंधन/सांख्यिकी या व्यवसाय में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय: मास्टर डिग्री या समतुल्य और साथ में मानव संसाधन प्रबंधन/सांख्यिकी या व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा या समतुल्य।			पच्चीस प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/संबिधा/सीधी भर्ती द्वारा।	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय किसी भी विद्या बैचलर डिग्री (ii) ऐसे अधिकारी जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत है या पारस क्षेत्र (स्थापन/निजी प्रबंधन/सांख्यिकी व्यवसाय/प्रशासन) में 4600 रु के ग्रेड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रु या समतुल्य के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है। वांछनीय: उच्च अर्हता और अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा - सदस्य	
25. कार्यालय प्रबंधक (पुस्तकालय सेवा)	G1(2009)* के आधार पर परिवर्तन किया जा		9300-34800 रु + ग्रेड वेतन 5400 रु	चयन।	लागू नहीं होता।	अटलदास वर्ष।	आवश्यक : (i) पुस्तकालय में विज्ञान बैचलर डिग्री या समतुल्य अनुभव: पुस्तकालय	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक/सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/अल्पकालिक/सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अध्यक्ष (ii) आयोग	लागू नहीं होता।	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सकता है।						तथा सूचना सेवा के क्षेत्र में तीन वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव					का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहविकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य	

[फा. सं. 5/27/2007-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2009

**G.S.R. 670(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Competition Act, 2002;

(b) "Secretary" means a person appointed as Secretary under sub-section (1) of section 17 of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. **Salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees.** – The salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees and their method of recruitment shall be as specified in Schedule – I.

**4. Conditions of service.-** (1) The conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission in the matter of leave, joining time, joining time pay, age of superannuation, traveling allowance and leave travel concession shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to corresponding category and scale of pay.

(2) The Secretary, officers and employees of the Commission shall be eligible for general pool accommodation till a separate office and residential complex for the Commission is constructed.

(3) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation, who are Government employees and have been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation.

(4) The Secretary, officers and employees of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.

(5) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation while in service with the Commission shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-II.

(6) (i) The Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

(ii) The Commission shall recover contribution towards provident fund from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(ii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(7) The Secretary, officers and employees of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

(8) (i) The Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(ii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(9) The Secretary, officers and employees of the Commission who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.

(10) The Secretary, officers and employees of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organisation.

**5. Official visits abroad.**- Official visits abroad by Secretary, officers and other employees of the Commission shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member or officer of the Commission authorised by the Chairperson.

(2) Instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time shall be applicable.

- 6. Deputation allowance.**- The persons selected on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the borrowing organization or to retain their own pay scales and get deputation allowance, as per the existing instructions of the Government of India on the subject.
- 7. Residuary provision.** – Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary, officers and employees of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.
- 8. Powers to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, release any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

### **Schedule- II**

[See rule 4(5)]

### **MEDICAL FACILITIES**

- 1 Outdoor Medical expenses- (i) Secretary, officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (ii) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1<sup>st</sup> January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.
- (iii) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1<sup>st</sup> January.

- (iv) For Secretary, officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.
- (v) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Commission.

## 2 Indoor treatment-

- (i) For the purpose of indoor treatment the Secretary, officers and employees of the Commission shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Commission in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (ii) The authorised hospitals for the purpose of clause (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944.
- (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

Schedule I  
(see rule 3)

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band with Grade pay or pay scale	Whether selection Post or non-selection Post	Whether benefit of added years of services admissible under the rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentages to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer from which promotion or deputation or transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. Secretary	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Pay Band Rs.37400-67000 + Grade pay Rs.10000 or pay scale Rs.67000-(annual increment @ 3%) Rs.79000 depending on the availability of candidates as indicated in Column 12.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or Promotion	1. Deputation: (a) For pay scale Rs.67000-(annual increment @ three per cent) - 79000 (i) From amongst officers of the Central Government or State Government - holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000, with ten years experience in Administration or Finance or Industrial management in the same grade. Desirable: Master's Degree in Economics or Business Administration or Bachelor's Degree in Law. OR (ii) From amongst officers of the Central Government or State Government	Departmental promotion Committee (for consideration promotion) consisting of: 1. Chairperson, Competition Commission of India - Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India - Members 3. Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the Committee - Member	Not Applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											<p>holding a post in the pay scale of Rs.67000 - (annual increment @ three per cent) - 79000.</p> <p>(b) For pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000.</p> <p>(i) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8900 with two years experience in administration or finance or industrial management in the same grade.</p> <p>(ii) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37000-67000 + Grade Pay Rs.8700 with three years experience in administration or Finance or industrial management in the same grade.</p> <p>2. Promotion: (For pay scale 67000 - annual increment @ 3% - 79000)</p> <p>Five years experience as Adviser in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000/- in the Competition Commission of India on regular basis.</p>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Adviser Financial Analysis)	2(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. in Commerce or Finance or Accounting or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant or equivalent and thirteen years experience in the relevant field. Or Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance or Accounts) and seventeen years experience in the relevant field.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by promotion, failing which by deputation.  2. Twenty five per cent by deputation or transfer or short term contract  3. Twenty five per cent by direct recruitment.	(I) By Promotion: at least four years service as Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group A' or Autonomous organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or eight years in the grade pay of Rs8700 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Financial Analysis related to competition issues.	Departmental promotion Committee (for consideration or promotion) consisting of:  1. Chairperson, Competition Commission of India - Chairperson  2. Two Members of Competition Commission of India - Members  3. Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the Committee Member	Not applicable
3. Adviser Economics)	3(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. in Economics or Statistics or equivalent and Thirteen years experience	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation.	(I) By Promotion: at least four years service as Director (Economics) with the Commission. (II) By Deputation:	1. Chairperson, Competition Commission of India - Chairperson	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Adviser (Law)	3* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection	Not Applicable	Between 45 and 50 years	Or Master's Degree in Economics or Statistics or equivalent and seventeen years experience Desirable: Subject knowledge in microeconomics or industrial organization theory or econometrics or financial economics.	Not applicable	One year	2. Twenty five per cent. by deputation transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	Essential: Master's Degree in Economics or Statistics or equivalent from a recognised university, and Eligibility: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group 'A' or Indian Economic Service or Indian Statistics Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics or Statistics and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or eight years in the grade pay of Rs8700 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field. Desirable: Experience in the field of Economics.	2. Two Members of Competition Commission of India - Members 3. Outside expert considered necessary, may be co-opted by the Committee Member	Not applicable
							Essential: (i) Ph.D. Degree in Competition Law or equivalent and Thirteen years experience in the relevant field or (i) Master's Degree in Law or equivalent and	Not applicable		1. Fifty per cent by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent by deputation transfer or short term contract	(i) By Promotion: At least four years service as Director (Law) with the Commission. (ii) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services or Central Civil Services 'Group 'A' or Indian Law Service or Indian Company Law Service or Autonomous	1. Chairperson, Competition Commission of India - Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India - Members	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Director (Financial Analysis)	2*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs.8900	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	fifteen years experience in the relevant field Or (i) Bachelor of Law or equivalent, and seventeen years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent by Promotion, falling which by deputation. 2. Twenty five per cent by Deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent by direct recruitment.	(i) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (ii) By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Commerce or Masters Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company	3. Outside expert considered necessary, may be co-opted by the Committee Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6. Director (Economics)	*5 (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs.8900	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	<p>in Business Administration (Finance) or equivalent from a recognised University and twelve years experience</p> <p>Desirable: Experience in Financial Analysis related to Competition Issues</p>	Not applicable	One year	<p>1. Fifty per cent by Promotion, failing which by deputation.</p> <p>2. Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract</p> <p>3. Twenty five per cent. by direct recruitment.</p>	<p>Secretary or Cost Accountant and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8700 or ten years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent.</p> <p>Desirable: Experience in Financial Analysis related to Competition issues.</p>	Member	Not applicable
							<p>Essential: Ph. D. in Economics in Micro Economics or Industrial Organisation Theory or Econometrics or equivalent from a recognised university. And eight years experience in the relevant field. or Master's Degree in Economics or equivalent from a recognised University and twelve years experience in the relevant field.</p>				<p>(i) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Economics) with the Commission.</p> <p>(ii) By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Economics and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8700 or ten years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent.</p>	<p>(i) one Member nominated by Chairperson-Chairman (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, if opted by the committee Member</p>	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Director (Law)	5* (Five) (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs. 8900	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	Desirable: Experience in Competition Law Essential: Ph.D. in Competition Law or equivalent from a recognised university; and eight years experience in the relevant field. or Master's Degree in Law or equivalent from a recognised University and ten years experience in the relevant field. or Bachelor's Degree in Law (Professional) or equivalent from a recognised university; and twelve years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent. by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent. by direct recruitment.	Experience in Competition Law. (I) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Law) with the Commission (II) By Deputation: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civil Services Group 'A' or Indian Law Service or Indian Company Law Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic Institutions having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs. 8700 or ten years in the grade pay of Rs. 7600 or equivalent. Desirable: Experience in Competition Law.	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General Commission of Competition of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	Not applicable
8. Joint Director (Financial Analysis)	4*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	Essential: Ph.D. in Commerce or Finance or Accounting or equivalent from a	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent.	(I) By Promotion: At least six years service as Deputy Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) By Deputation: Essential:	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. Joint Director (Economics)	10*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	<p>recognised university or Chartered Accountant /Company Secretary/Cost and Works Accountant/ Financial Analysis or equivalent and three years experience in the relevant field.</p> <p>or</p> <p>Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration (Finance) and six years experience including in Corporate Sector.</p> <p>Desirable: Experience in Financial Analysis related to Competition Issues</p>	Not applicable	One year	<p>cent. deputation transfer or short term contract</p> <p>3. Twenty five per cent. by direct recruitment.</p>	<p>Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/Universities/ Academic / Research Institutions with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration (Finance)/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost and Works Accountant and working in analogous posts / grade or six years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent.</p> <p>Desirable: Experience in financial analysis related to competition issues</p>	<p>Competition Commission of India - Member (iii) Secretary - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member</p>	Not applicable
							<p>Essential: Ph. D Degree in Economics or Statistics or equivalent from a recognised university; and three years experience in the relevant field or Master's Degree in Economics or</p>	Not applicable	One year	<p>1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation.</p> <p>2. Twenty five per cent. by deputation transfer or short term contract</p>	<p>(i) By Promotion: At least six years service as Deputy Director (Economics) with the Commission (ii) By Deputation: Eligibility: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic</p>	<p>(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary - Member</p>	Not applicable

10. Joint Director (Law)	10* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400-67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection	Not Applicable	Between 35 and 40 years	<p>Statistics or equivalent from a recognised university, and six years experience in the relevant field, including in Corporate Sector.</p> <p>Desirable: Subject knowledge in Micro Economics or Industrial Organisational Theory or Econometrics or Financial Economics.</p> <p>Essential: Ph. D Degree in Competition Law or equivalent from a recognised university; and three years experience in the relevant field. or Master's Degree in Law or equivalent from a recognised university and four years experience in the relevant field. or Bachelor's Degree in Law</p>	Not applicable	One year	<p>1. Fifty per cent. by Promotion, failing which by deputation.</p> <p>2. Twenty five per cent. by Deputation transfer or short term contract</p> <p>3. Twenty five per cent by direct recruitment.</p>	<p>3. Twenty five per cent. by direct recruitment.</p>	<p>Service/Indian Statistical Organisations or Regulatory Authorities/ Universities./Academic/Research Institutions etc. with Master's Degree in Economics/ Statistics and working in analogous posts / grade or six years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent.</p> <p>Desirable: Experience in Competition Economics</p>	<p>(i) By Promotion: At least six years service Deputy Director (Law) with the Commission.</p> <p>(ii) By Deputation: Eligibility: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civil Services Group 'A'/ Indian Law Service/ Indian Company Law Service / Autonomous (Central /State Government) Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/Research / Judicial Institutions etc. having Degree in Law from a recognised university and working in</p>	<p>(iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member</p>	<p>(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-</p>	14
--------------------------	--	----------------	--------------------------------------	-----------	----------------	-------------------------	---	----------------	----------	--	--	--	--	--	--	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11. Deputy Director (Financial Analysis)	10*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Not Applicable	Not Applicable	Thirty three years	(Professional) or equivalent from a recognised university; and Experience: six years experience in the relevant field, including in corporate Sector  Desirable: Experience in Competition Law	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment falling which deputation transfer / short term contract  Twenty five per cent by deputation falling which by direct recruitment.	By Deputation: <u>Essential:</u> Officers from the All India Services / Central Civil Services 'A'/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration with Finance and accounts / Chartered Accountant/ Cost Company Secretary/ Cost and Works Accountant/ Financial Analyst or equivalent. And with three years experience in the relevant field including in corporate sector.	opted by the committee Member	Not applicable



1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
12. Deputy Director (Economics)	18* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not Applicable	Thirty three years	Essential: Master's Degree in Economics/ Statistics or equivalent and with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment falling which by deputation transfer / short term contract	By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A'/ Indian Economics Service/ Indian Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post / grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent Desirable: Experience in Competition Law.	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be opted by the committee Member	Not Applicable
13. Deputy Director (Law)	18* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not Applicable	Thirty three years	Essential: Bachelor of Law (Professional) or equivalent. And with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Not applicable	One year in case of direct recruitment	Seventy five per cent. by Direct recruitment falling which by deputation transfer / short term contract	(i) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A'/ Indian Law Service/ Indian Company Law Service / Autonomous Organisations / Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research/ Judicial Institutions etc having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post / grade or five years service in the	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside	Not applicable

33494A09-17

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14. Joint Director (Finance and Accounts)	1* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not applicable	Forty three years	Essential: Master's Degree or equivalent in Commerce / Master's Degree in Business Administration/ Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost Accountant or equivalent and Experience: Six years experience in the relevant field Desirable: Experience of working in Public Finance/ Expenditure Control / Audit	Not applicable	One Year	By Promotion failing which by deputation / transfer / short term contract / direct recruitment	(i) By Promotion: Deputy Director (Finance and Accounts) with at least five years service in the Commission.  (ii) By Deputation: Essential: Officers of All India Services/ Central Civil Services Group 'A' / Indian Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Accounts Service/ Indian Defence Accounts Service / Indian Railway Accounts Service working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6800 or equivalent With minimum total experience of seven years in Public Finance/ Public Budgeting / Expenditure Control. Desirable: Master's Degree in Commerce / Master's Degree in Business Administration (Finance) /	expert considered necessary, may be opted by the committee Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Joint Director (IT)	1* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not applicable	Forty three years	Essential: Master's Degree in Technology /Bachelor's Degree in Technology or Bachelor's Degree in Engineering or equivalent from a recognised university or Master's Degree in Science (Engineering) / Computer Science / Information Technology with experience of six years in the relevant field.	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation transfer or short term contract or direct recruitment.	Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant.  (i) By Promotion: Deputy Director (Information Technology) with at least five years service in the Commission.  (ii) By deputation: Essential: An Information Technology professional working in National Informatics Centre or any other Government Organization with Bachelor's Degree in Computer Applications/ Master's Degree in Computer Application / Science (Company Secretary) / Bachelor's Degree in Technology or equivalent etc. with five years experience in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee Member	Not applicable
16. Deputy Director (Corporate Services)	5†(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university, and (ii) Diploma or Certificate course	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation transfer / short term contract	(i) By Promotion Assistant Director (Corporate Services) Information Technology and Finance with at least five years service in the Commission. (ii) By Deputation	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17. Deputy Director (Finance and Accounts)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Thirty three years	<p>in Personnel Management / Secretarial Practices or equivalent; and Experience: Five years experience at Assistant Director Level</p> <p>Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/ Secretarial Practices or equivalent.</p>	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation or transfer or short term contract	<p>Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent in the field (Establishment / Personnel Management / Secretarial Practices / Administration).</p> <p>Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.</p>	<p>General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee</p>	Not applicable
							<p>Essential: Master's Degree or equivalent in Commerce or Master's Degree in Business Administration or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or equivalent and Experience: Three years experience in the field</p> <p>Desirable: Experience of working in Public Finance or</p>				<p>(i) By Promotion Assistant Director (Finance and Accounts) with at least five years service in the grade.</p> <p>(ii) By Deputation Officers of All India Services / Central Civil Services Group 'A' / Indian Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Accounts Service / Indian Defence Accounts Service/ Indian Railway Accounts Service working in analogous post / grade or five years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent</p>	<p>(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary.</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18. Deputy Director (Information Technology)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15500-39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Thirty three years	Expenditure Control or Audit. Essential: B.Tech or Bachelor's Degree of Engineering or equivalent from a recognised university, or Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Engineering) / Computer Science / Information Technology with experience of Three years in the relevant field.	Not applicable	One year	By Promotion failing which by Deputation transfer / short term contract	Higher qualification and experience will be given preference. (i) By Promotion Assistant Director (Information Technology) with at least five years service in the grade. (ii) By Deputation: Essential: An Information Technology professional working in National Informatics Centre or any other Government Organization with Bachelor's Degree of Computer Applications / Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Company Secretary) / Bachelor's Degree in Technology or equivalent etc. with five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	may be co-opted by the committee - Member (i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee - Member	Not applicable
19. Assistant Director (Finance /Accounts)	*2(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or equivalent and Experience: (ii) Three years experience in the relevant field. Desirable: Higher qualification and	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation transfer / short term contract	(i) By Promotion Office Manager (Finance and Accounts) with at least five years service. (ii) By Deputation: Candidates having Bachelor's degree in any discipline, working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 Assistant Director (Information Technology)	3*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade pay Rs.6600	Not applicable	Not applicable	Thirty three years	Essential: (i) Bachelor's Degree in Technology /Bachelor's Degree in Engineering or equivalent or (ii) Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Information Technology/ Computer Science / Engineering) Experience: Three years experience in the relevant field.	Not applicable	One year	By recruitment deputation Or Transfer or short contract	or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4800 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Budget Finance and Accounts).	Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	Not applicable
							experience will be preferred.				By Deputation: Information Technology Professional working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or 10 years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent, possessing the qualification of Master's Degree in Computer Application / Bachelor's Degree in Computer Applications / Bachelor's Degree in Technology /Master's Degree in Science (Information Technology /Company Secretary) or equivalent	(i) One Member nominated by Chairperson, Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21. Assistant Director (Library Services)	2*(2009) **Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science with five years experience	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation or transfer or short term contract or direct recruitment	(i) By Promotion Office Manager (Library Services) with at least five years service (ii) By Deputation; Candidates having Bachelor's degree in Library Science with working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent.	(i) One Member nominated by Chairperson, Commission of Competition of India - Chairman (ii) Director General, Commission of Competition of India - Member (iii) Secretary, Commission of Competition of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable
22. Assistant Director (Corporate Service)	14*(2009) **Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university, and (ii) Diploma/ Certificate course in Human Resource management / Secretarial Practices or Cash and Accounts Course of Institute of	Not applicable	One year	By Promotion failing which by deputation / transfer / short term contract	(i) By Promotion Office Manager (Corporate Services) with at least five years service in the Commission. (ii) By Deputation; Essential: Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade	(i) One Member nominated by Chairperson, Commission of Competition of India - Chairman (ii) Director General, Commission of Competition of India - Member (iii) Secretary, Commission of Competition of India - Member	Not applicable

23. Office Manager (Finance and Accounts)	4*(2009) Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.5400	Not applicable	One year	By direct recruitment falling which by or deputation transfer or short term contract	pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Establishment / Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference.	(iv) Outside if expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	14
		Not applicable		Not applicable	One year	By direct recruitment falling which by or deputation transfer or short term contract	Secretariat Training and Management or Experience: Five years experience at Office Manager Level. Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/Secretarial Practices or equivalent. Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or equivalent with three year experience or (ii) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university with one year diploma in Accounting / Finance; / Cash and Accounts Course of Institute of Secretariat Training and Management or equivalent;	(i) One Member nominated by Chairperson, Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the	14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24. Office Manager (Corporate Service)	201(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 9300-34800 + Grade pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	with three years experience in the relevant field. Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university; and (ii) Diploma/ Certificate course in Human Resource Management / Secretarial Practices, or equivalent, and With three years' experience in the relevant field. Desirable: Master's Degree or equivalent with one year Diploma in Human Resource Management/Secretarial Practices or equivalent.	Not applicable	One year	Seventy five per cent by direct recruitment, falling which by deputation.  Twenty five per cent by deputation transfer / short term contract, falling which by direct recruitment	By Deputation: Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. (ii) Officers working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Establishment/ Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	committee Member  (i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	Not applicable
25. Office Manager (Library Services)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science or equivalent Experience: three years post qualification experience in	Not applicable	One year	By direct recruitment falling which by deputation transfer / short term contract	By Deputation: Officers having Bachelor's degree in Library Science and working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							the field of library and information services				the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	General, Competition of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert considered necessary, may be co-opted by the committee Member	

[F. No. 5/27/2007-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.